न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित, आई0ए0एस0

मि0नं0 11 / अपील (आर0टी0आई) / 2022

गौतमराज जैन आ0 ज्ञानचन्द जैन
निवासी– बकानी तहसील बकानी झालावाड़ (राज0)(अपीलान्ट)
बनाम
लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी, झालावाड (अप्रार्थी)

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::– दिनांकः 22.03.2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई जाने पर प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट ने अपील मेमों में निवेदन किया कि प्रार्थी ने लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, झालावाड से सूचना चाही जाने पर उनके द्वारा पत्रांक 58 दिनांक 19.01.2022 से प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी से सम्बन्धित होने से अन्तरित कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है। निम्न सूचना चाही गई थी 01. दिनांक 06.02.2021 में जिला कलक्टर के समक्ष तहसील बकानी में दस शिकायतें राज्यहित व सार्वजनिक हित में प्रेषित की थी–अतिरिक्त जिला कलक्टर के पत्र कमांक 393 दिनांक 26.07.2021 के सन्दर्भ में की गई कार्यवाही की छाया प्रतियां। 02. जिला कलक्टर को शिकायत प्रस्तुत की गई थी,जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर के पत्र कमांक 395 दिनांक 26.07.2021 के कम में की गई कार्यवाही की छाया प्रति। 03. राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर में अपील संख्या 109813 की सुनवाई का नोटिस दिनांक 09.03.2021 के लिये दिनांक 22.01.2021 का नोटिस किस दिनांक को मिला आमद डाक रजि के कमांक दिनांक एवं पष्ट संख्या की छाया प्रति। 04. राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर में अपील संख्या 110906 की सुनवाई का नोटिस दिनांक 16.03. 2021 के लिये दिनांक 05.02.2021 का नोटिस किस दिनांक को मिला आमद डाक रजि के कमांक दिनांक एवं पष्ट संख्या की छाया प्रति । 05. राजस्व शिविर रीझोन में दिनांक 01.02.2008 को दिये गये आदेशानुसार नायब तहसीलदार एवं मौका पटवारी की दिनांक 08.02.2008 की छाया प्रति जिस पर बालचन्द पुत्र भैरूलाल राठोर(तेली) द्वारा बताया गया की सडक सेन्टर से 50 फीट छोडकर खसरा न0 579 रकबा 02 बिस्वा ग्राम बकानी में रूपान्तरण आदेश है कि छाया प्रति जिस पर बालचन्द पुत्र भैरूलाल के हस्ताक्षर हो रहे हैं कि छाया प्रति। 06. सूचना आयोग को दिनांक 16.10.2020 की रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा पेश की गई की छाया प्रति व प्रार्थी को किस दिनांक व किस कमांक डाक रवानगी रजि0 से पोस्ट आफिस में किस तारीख को दी पोस्ट आफिस की रसीद की छाया प्रति। लेकिन प्रार्थी को न तो नकल उपलब्ध कराई गई न ही प्रत्युत्तर दिया गया। वांछित सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी को नोटिस भिजवाया जाकर सुनवाई हेतु दिनांकः नियत कर आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया।

अपीलार्थी दिनांकः 15.03.2022 को उपस्थित किन्तु दौराने सुनवाई अनुपस्थित रहे। लोक सूचना अधिकारी,उपखण्ड अधिकारी,झालावाड उपस्थित नही और ना ही उनके द्वारा जवाब पेश किया गया ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रा0पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रभारी अधिकारी, सूचना का अधिकार कार्यालय जिला कलक्टर झालावाड़ द्वारा पत्रांक 57 दिनांक 19.01.2022 से प्रा0पत्र उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ से सम्बन्धित होने से उनको कार्यालय में संधारित कृति,दस्तावेजों,अभिलेखों की वांछित सूचना नियमानुसार नियत अवधि में प्रार्थी को उपलब्ध करवाने के निर्देश के साथ अन्तरित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, झालावाड द्वारा नियत समय में प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर लोक सूचना अधिकारी,उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ को कार्यालय के पत्रांक 98/रीडर/22 दिनांक 03.03.2022 को नोटिस भिजवाकर नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस में आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु भी निर्देशित किया गया किन्तु दौराने सुनवाई उपखण्ड अधिकारी स्वंय या उनके प्रतिनिधि ना तो न्यायालय में उपस्थित हुए और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया। अतः अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी,उपखण्ड अधिकारी,झालावाड़ को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना नियमों के परिपेक्ष्य में विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार निशुल्कः उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः 22.03.2022 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. भारती दीक्षित)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड

कमांकः 129 /रीडर/22 दिनांक 30/3/2022

प्रतिलिपिः–

01. प्रभारी अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम,कलक्ट्रेट,झालावाड़
02. लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, झालावाड
03. गौतम राज जैन आ0 ज्ञानचन्द नि0 बकानी तहसील बकानी,झालावाड (राज0)

प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड